



- प्रतिबन्ध :-
1. अनुसूचित आवासीय प्रयोजन हेतु की गई है, अन्य उपयोग करने पर मना है। (खस: 11/10/18) ध्यान रखें।
  2. मकान निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कालक्रमानुसार मकान निर्माण स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
  3. यदि भविष्य में यह का भूखण्ड स्वामित्व विवादित होना है अथवा बाधा जाला है तो मानचित्र स्वीकृति प्राप्त निरस्त मानी जायेगी।
  4. मकान उपविधि 2008 का अनुपालन करना होगा।


सर्व पर एक ही तरह पर लोडिंग मानचित्र के अन्वय व विचार विचार किये जायेंगे।

मानचित्र संख्या 32 के अन्वय किये जायेंगे।

आवासीय परम 530 दिनांक 11/10/18 में उल्लिखित बातों का अनुपालन किया गया अभिलेखित है।


शिव पुरान गुलाटी  
 साधारण निकाय अधिकारी  
 साधारण निकाय अधिकारी  
 साधारण निकाय अधिकारी  
 साधारण निकाय अधिकारी  
 साधारण निकाय अधिकारी

NORTH




3 nd FLOOR PLAN

निष्पन्न दिनांक 11/10/18  
 की सं. 93/17, 9091-  
 दिनांक 11/10/18




4 th. FLOOR PLAN +SERVICE FLOOR

निष्पन्न दिनांक के अनुसार निर्माण पूर्ण होने के विचार किये जायेंगे।




5th FLOOR PLAN

- शर्त :-
1. रेल वाटर सर्विसिंग का प्रावधान नियमानुसार करना होगा।
  2. नियमानुसार पेड़ लगाने होंगे।
  3. समस्त अगति प्रमाण पत्रों का पालन नियमानुसार अगति पत्रों के प्रावधानों के अनुसार करना होगा।
  4. पू-स्वामित्व सम्बन्धित वाद विवाद की स्थिति में समस्त दायित्व आदेक का होगा तथा मकानधर स्वतः निरस्त करना चायेगा।
  5. विद्युत संचयी कार्य सुदृढीकरण (सुरक्षा) के मकानों के अनुसार पूर्ण करके विद्युत विभाग को हस्तान्तरित करने होंगे।
  6. आग रोकक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कम्प्लीशन प्रमाण पत्र लेना होगा।
  7. अपार्टमेंट एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  8. पेश में पंजीकरण करवा ही अपार्टमेंट का विक्रय/विभाजन किया जायेगा।
  9. आग रोकक कार्य के प्रस्तुत आगमन की धारणा के हवाले बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी।
  10. अनिर्दिष्ट विभाग का अगति प्रमाण पत्र मानचित्र निर्मित से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
  11. योजना में सिस्ट इन्स्टालेशन के परवक विद्युत चुका का अगति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  12. सोलर सिस्टम का प्रावधान करना होगा।
  13. एअरकंडीशनिंग सिस्टम करना होगा।
  14. प्रदूषण पूर्व पर्यावरण का अगति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  15. पूरवक से पीछे की साइड की दफ्तरेक का प्रयोग/उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।



6 th FLOOR PLAN



PROPOSED RESIDENTIAL & COMMERCIAL BUILDING PLAN AT KHASRA NO.: 109 / 1, D.H- SHRNPUR ROAD, VILL. MILAK WAJIDUDDINPUR, SAHARANPUR, U.P.








SUBMISSION DRAWING

ADV Architects Pvt.Ltd.  
 ARCHITECT:  
 OWNER:  
 MR. SHIV PURAN GULATI  
 ARCHITECT:  
 MR. SUBODH GULATI

For Engineering Creations  
 Proprietor  
 M. Ghosh

Date:	8.03.2018	Project No:	ADV_17/004
Drawn By:	SPHURTI	Drawing No:	A-003
Scale:		Rev:	
Drawing Status:			APPROVAL

- प्रतिबन्ध :-**
1. अनुमति आवेदन प्रेषित होने की जा रही है, अन्य उपयोग करने पर बाधित स्वतः निरस्त बना जावेगा।
  2. नवन निर्माण पूर्ण कर लेने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् मानचित्र पर खाई स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
  3. यदि प्रतिबन्ध में क्या भी सुधार स्वीकृत किया जाता है, तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त नहीं जायेगी।
  4. नवन उपविधि 2008 का अनुपालन करना होगा।



**FIRE SPECIFICATION**

FIRE EXTINGUISHER AS PER IS: 2199; 2010

3NOS. (BASEMENT, STILT & FIRST FLOOR)  
2NOS. (SECOND FLOOR FLOOR)  
2NOS. (THIRD TO SEVENTH TYPICAL FLOOR)  
1NOS. (EIGHT FLOOR)

HOSE REEL AS PER IS 884: 1985

3NOS. (BASEMENT, STILT & FIRST FLOOR)  
2NOS. (SECOND FLOOR FLOOR)  
2NOS. (THIRD TO SEVENTH TYPICAL FLOOR)  
1NOS. (EIGHT FLOOR)

DOWNCOMER SYSTEM



3NOS. (BASEMENT, STILT & FIRST FLOOR)  
2NOS. (SECOND FLOOR FLOOR)  
2NOS. (THIRD TO SEVENTH TYPICAL FLOOR)  
1NOS. (EIGHT FLOOR)

SPRINKLER SYSTEM & MANUALLY OPERATED.  
(BASEMENT, STILT & FIRST FLOOR OFFICE AREA)

ELECTRIC FIRE ALARM SYSTEM  
(EACH FLOOR)

TERRACE TANK 25,000 LTRS. CAPACITY  
(2NOS. TERRACE TANK)

TERRACE PUMP 900 LITER/MINUTES  
(2NOS. TERRACE TANK)



11/11/2018 1370/16-17  
FOR OFFICE USE ONLY

*[Signature]*  
उपनिवेश विकास अधिकारी,  
वहावरपुर

*[Signature]*  
विद्युत एवं ईंधन अधिकारी/सहायक  
वहावरपुर विकास अधिकारी,  
वहावरपुर

*[Signature]*  
अधिकारी विकास अधिकारी,  
वहावरपुर

*[Signature]*  
अध्यक्ष विकास अधिकारी,  
वहावरपुर

- सूची :-**
01. रैन वाटर हार्बरिंग का प्राधिकरण नियमनुसार करना होगा।
  02. निरमानुसार पैक लगाने होंगे।
  03. समस्त अनामत प्रमाण पत्रों का पालन निमानुसार अनामत पत्रों के प्राधिकारियों के अनुसार करना होगा।
  04. प्रस्तावित स्थापित वाद विवाद की स्थिति में समस्त वास्तव आवेदक का ध्यान रखा जायेगा।
  05. विद्युत उपकरणों का प्रयोग करके निरस्त करके अनामत पत्र करके विद्युत विभाग को हस्तगत करने होंगे।
  06. अनामत विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कर्मचारी प्रमाण पत्र लेना होगा।
  07. अपार्टमेंट एक्ट का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  08. रैन में फ्लोक्लोरिन करके ही अपार्टमेंट का विकास/विद्युत किया जायेगा।
  09. अनामत विकास कार्य के प्रस्तुत आगमन की धाराओं के बराबर रोक गास्टी प्रस्तुत करनी होगी।
  10. अगस्तम विभाग का अनामत प्रमाण पत्र मानचित्र निर्माता से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
  11. योजना में विद्युत हस्ताक्षरों के पर्याप्त विद्युत सुखा का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  12. सोलर सिस्टम का प्राधिकरण करना होगा।
  13. एकाधिकार विकसित करना होगा।
  14. प्रदूषण एवं स्मॉगिंग का अनामत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  15. प्रदूषण के पीछे की साइड की चक्रेड का प्रयोग/उपयोग करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

PROPOSED RESIDENTIAL & COMMERCIAL BUILDING PLAN AT KHASRA NO.: 109 / 1, DLH-SHRNPR ROAD, VILL. MILAK WAJUDDINPUR, SAHARANPUR, U.P.

**SUBMISSION DRAWING**

ADV Architects Pvt.Ltd.

OWNER:  
*[Signature]*  
MR. SHIV PURAN GULATI

ARCHITECT:  
*[Signature]*  
MR. SUBODH GULATI

Engineering Creations  
701, Tower-A, 1st Floor, Sector-10  
Gurgaon (Haryana)  
M 0622022

STRUCTURE ENGINEER:

Scale :	Project No :	ADV_17/004	Rev :
Date :	Drawing No :	A-004	
Drawn By :	SPHURTI		
Drawing Status :	APPROVAL		